संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 15

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2432.00	52.00	2484.00	1602.00	50.77	1652.77	2499.00	47.00	2546.00
पूंजी		*98.00*	...	*98.00*	*98.00*	...	*98.00*	*161.00*	...	*161.00*
जोड़		**2530.00**	**52.00**	**2582.00**	**1700.00**	**50.77**	**1750.77**	**2660.00**	**47.00**	**2707.00**
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	30.40	31.30	61.70	30.40	30.27	60.67	35.00	27.30	62.30
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग										
2 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	3451	419.00	...	419.00	419.00	...	419.00	519.00	...	519.00
	5475	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	109.00	...	109.00
	जोड़	*489.00*	...	*489.00*	*489.00*	...	*489.00*	*628.00*	...	*628.00*
3. प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं (आईटीआरए सहित)	2852	29.00	...	29.00	30.80	...	30.80	71.00	...	71.00
4. शिक्षा अनुसंधान-नेटवर्क (ईआरएनईटी)	2852	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	10.00	...	10.00
5. संघटक और सामग्री विकास कार्यक्रम	2852	13.00	0.60	13.60	18.50	0.60	19.10	25.00	0.60	25.60
6. सूक्ष्म इलेक्ट्रोनिकी और नैनो-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम-एन.एम.सी.	2852	35.00	...	35.00	79.50	...	79.50	100.00	...	100.00
7. उन्नत परिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक)	2852	116.00	3.00	119.00	128.00	3.00	131.00	160.00	3.00	163.00
8. अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर)	2852	30.00	3.00	33.00	38.00	3.00	41.00	38.00	3.00	41.00
9. मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन	2852	56.00	8.00	64.00	56.00	8.00	64.00	57.50	7.00	64.50
(एसटीक्यूसी)	4859	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	18.50	...	18.50
	जोड़	*64.00*	*8.00*	*72.00*	*64.00*	*8.00*	*72.00*	*76.00*	*7.00*	*83.00*
10. एकीकृत नगरक्षेत्र की स्थापना का सरलीकरण	2852	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11	1.00	...	1.00
11. जनशक्ति विकास	2852	35.00	...	35.00	49.00	...	49.00	88.00	...	88.00
12. अभिकरण, संचार एवं युद्धनीतिक इलेक्ट्रॉनिकी	2852	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00
13. स्वास्थ्य और दूरऔषध में इलेक्ट्रॉनिकी	2852	12.33	...	12.33	12.33	...	12.33	14.00	...	14.00
14. *अन्य कार्यक्रम*										
14.01 इलेक्ट्रानिकी प्रदर्शनी	2250	...	0.80	0.80	...	0.75	0.75	...	0.80	0.80
14.02 विदेशी व्यापार	3453	...	3.10	3.10	...	2.95	2.95	...	3.10	3.10
14.03 अन्य स्कीमें	2852	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
	जोड़	*...*	*4.40*	*4.40*	*...*	*4.20*	*4.20*	*...*	*4.40*	*4.40*
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए परियोजनाओं/योजनाओं	2552	233.00	...	233.00	150.00	...	150.00	237.00	...	237.00
के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	29.00	...	29.00
	जोड़	*253.00*	...	*253.00*	*170.00*	...	*170.00*	*266.00*	...	*266.00*
16. इलेक्ट्रोनिक गवर्नेस								*		
16.01 कार्यक्रम घटक	2852	710.00	...	710.00	299.50	...	299.50	827.00	...	827.00
16.02 ईएपी घटक	2852	100.00	...	100.00	0.50	...	0.50	100.00	...	100.00
	जोड़	*810.00*	...	*810.00*	*300.00*	...	*300.00*	*927.00*	...	*927.00*
17. भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास	2852	7.89	...	7.89	10.89	...	10.89	31.00	...	31.00
18. साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन, आईटी अधिनियम सहित	2852	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00	31.50	...	31.50
	4859	...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50
	जोड़	*29.00*	...	*29.00*	*29.00*	...	*29.00*	*36.00*	...	*36.00*
19. भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और ईएचटीपी	2852	2.51	...	2.51	2.51	...	2.51	2.50	...	2.50

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
20. जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (लिंग, अ.जा./अ.ज.जा.)										
20.01 प्रोग्राम कम्पोनेट	2852	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	8.67	...	8.67
20.02 ईएपी कम्पोनेट	2852	...	...	...	...	...	...	3.33	...	3.33
	जोड़	*6.00*	*...*	*6.00*	*6.00*	*...*	*6.00*	*12.00*	*...*	*12.00*
21. इलेक्ट्रानिक विभाग अधिकृत प्रमाणन पाठ्यक्रम (डीओईएसीसी)	2852	1.44	1.70	3.14	1.44	1.70	3.14	7.00	1.70	8.70
22. डिजीटल डीएनए पार्क	2852	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
23. इलेक्ट्रोनिकी/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (मेगा फैब) का संवर्धन	2852	2.30	...	2.30	0.50	...	0.50	2.50	...	2.50
24. राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र	2852	540.00	...	540.00	216.00	...	216.00	90.00	...	90.00
25. मीडिया लैब एशिया	2852	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	9.00	...	9.00
26. कंट्रोलर ऑफ सर्टीफायिंग आथारिटीस (सीसीए)	2852	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00
कुल-जोड़		***2530.00***	***52.00***	***2582.00***	***1700.00***	***50.77***	***1750.77***	***2660.00***	***47.00***	***2707.00***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
अन्य संस्थाएं/निकाय										
डीओईएसीसी/समीर/सी-डैक आदि	12859	...	272.14	272.14	...	272.14	272.14	...	406.61	406.61
जोड़		**...**	**272.14**	**272.14**	**...**	**272.14**	**272.14**	**...**	**406.61**	**406.61**
ग. आयोजना परिव्यय :-										
1. दूरसंचार और इलेक्ट्रोनिकी उद्योग	12859	1827.60	272.14	2099.74	1080.60	272.14	1352.74	1840.00	406.61	2246.61
2. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	449.40	...	449.40	449.40	...	449.40	554.00	...	554.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	253.00	...	253.00	170.00	...	170.00	266.00	...	266.00
जोड़		**2530.00**	**272.14**	**2802.14**	**1700.00**	**272.14**	**1972.14**	**2660.00**	**406.61**	**3066.61**

1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ : यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए सचिवालयी व्यय उपलब्ध कराता है ।

2. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केद्र (एनआईसी) : राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केद्र केद्र सरकार के विभागों, राज्यों, संघ शासित प्रदेशों तथा देश के जिला प्रशासनों को नेटवर्क बैकबोन तथा ई-शासन समर्थन प्रदान करने वाला एक नोडल वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन है । यह एक नेटवर्क मूलसंरचना सुविधा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, अनुप्रयोग सेवा प्रदाता तथा सूचना सामग्री अनुप्रयोग सेवा प्रदाता है ।

3. प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं (इटरा सहित) : इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को सहयोग देकर देश में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के प्रसार और उन्हें आत्मसात् करने की सुविधाएं प्रदान करना; निःशुल्क एवं मुक्त स्रोत साफ्टवेयर एवं मुक्त स्रोत साफ्टवेयर के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना; महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अद्यतन तकनीकी जानकारी जानकारी के किफायती किफायती स्वदेशी समाधानों का विकास एवं प्रयोग करना; जैव सूचना विज्ञान एवं आईपीआर संवर्धन में प्रौद्योगिकी विकास करना है तथा सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी की स्थापना करना है।

4. शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) इंडिया : यह आईपीवी 6 पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है, जो पांच क्षेत्रों में ध्यान केद्रित कर रही है : (i) राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क; (ii) आंकडा संचार तथा इसके अनुप्रयोग क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (iii) उच्च क्षमता के नेटवर्किंग क्षेत्र में मानव संसाधन विकास; (iv) शैक्षणिक सामग्री; तथा (v) परिसरवार उच्च गति का स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क ।

5. संघटक पुर्जा और सामग्री विकास कार्यक्रम : इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के लिए एक सशक्त अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी के आधार का विकास करना तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की भावी आवश्यकताओं को पूरा करना और उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा उद्योग में महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के लिए लक्ष्य उन्मुखी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है।

6. माइक्रोइलेक्ट्रॉनिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में एक सशक्त आधार का निर्माण करना है जिसमें शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योग में जनशक्ति, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी शामिल हैं, और साथ ही देशीय इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए अनुप्रयोग विशिष्ट एकीकृत परिपथों (एसिक) के प्रयोग को बढावा देना तथा उसका प्रसार करना भी है।

7. उन्नत अभिकलन विकास केद्र (सी-डैक) : यह अभिकलन एवं संचार तथा इससे उन्नत होने वाले अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है । सी-डैक का राष्ट्रीय महत्व तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी के संबद्ध बाजार के कई आला क्षेत्रों में नवीकरण, प्रौद्योगिकी विकास, कुशलता, डिलीवरी योजना, सहयोग, भागीदारी तथा बाजार नवीनीकरण के लिए आर्थिक प्रणाली और संस्थागत ढांचे के निर्माण में क्रमिक रूप से विकास हुआ है ।

8. प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर) : यह सूक्ष्मतरंग, मिली-मीटर तरंग तथा इलेक्ट्रो-चुम्बकीयता के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है, जिसका विशिष्ट लक्ष्य इन प्रौद्योगिकियों के लिए अनुप्रयोगों का विकास करना है तथा मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता में इसके तीन केद्र हैं ।

9. मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) कार्यक्रम : एसटीक्यूसी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, इसने स्वयं को देश में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख गुणवत्ता आश्वासन संस्थान के रूप में स्थापित किया है तथा इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मान्यताएं प्राप्त हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सेवाओं को स्वीकृति प्रदान करती हैं । यह उद्योगों को इलेक्ट्रॉनिक संघटक - पुर्जों तथा उत्पादों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए परीक्षण तथा अंशांकन सेवाएँ प्रदान करता है ।

10. एकीकृत टाउनशिप की स्थापना के लिए सुविधाएं प्रदान करना : ऐसी एकीकृत आधुनिक टाउनशिप का विकास करना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कार्यकलाप जैसे कि उपयोगिता मानचित्रण और मूलसंरचना विन्यास शामिल हैं । ये शहर अद्यतन तकनीकी जानकारी की शहरी मूलसंरचना से युक्त होते हैं तथा राज्य के कुल आर्थिक विकास में योगदान देते हैं ।

11. जनशक्ति विकास कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग की बढती हुई आवश्यकताओं के समर्थन के लिए विशेष जनशक्ति का सृजन करना और उसे सुदृढ करना तथा निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं i) सूचना सुरक्षा शिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम ii) डीओईएसीसी केद्र में आईटीईएस/बीपीओ क्षेत्र में रोजगार के लिए कुशलता संवर्धन iii) वीएलएसआई डिजाइन एवं संबंधित सॉफ्टवेयर में विशेष जनशक्ति विकास कार्यक्रम (iv) भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कुशलता विकास नीति के एक भाग के रूप में वर्ष 2022 तक 10 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने के लिए जिसका वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने का निर्धारित लक्ष्य है।

12. समाहार, संचार एवं सामरिक इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम : इसका उद्देश्य समाहार, संचार, ब्रौड बैण्ड प्रौद्योगिकियों तथा सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी के अनुसंधान और विकास को सहयोग देना है । स्वदेशी प्रयासों का उद्देश्य उभरती हुई, अगली पीढी की तार सहित/बेतार ब्रोड बैण्ड नेटवर्क और प्रसारण तथा सामरिक प्रौद्योगिकियों में विकास कार्य सुकर करना है जिसके फलस्वरूप उनका किफायती लागत पर नियोजन होता है जिससे न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं बल्कि सुरक्षा एवं उन्नत जीवन भी प्राप्त होता है ।

13. स्वास्थ्य एवं दूर औषध कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिकी : विभाग चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियों तथा पुनःस्थापना युक्तियों के क्षेत्र में देश में उनके वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों को बढावा देने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है । दूर औषध मुख्यतः बीमारियों के निदान एवं उपचार के लिए दूरसंचार के इस्तेमाल से संबंधित है तथा विशेष रूप से सुदूर एवं कम सेवा प्राप्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रदान करने के लिए एक उभरती हुई पद्धति है ।

15. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान : सरकार के निर्देशों के अनुसार केद्रीय योजनागत आबंटन का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ योजनाओं की परियोजना तैयार करने के निर्धारित किया जाना है ।

16. इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन कार्यक्रमः ई-शासन का मौटे तौर पर उद्देश्य आम आदमी को सभी सरकारी सेवाएं उसके इलाके में ही उपलब्ध कराना है । राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) में 27 मिशन मोड परियोजनाएं (एमएमपी) तथा 8 सहायक घटक शामिल हैं, जिन्हें केद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार के स्तर पर कार्यान्वित किया जाना है । सरकारी सेवाओं का एकीकृत एवं संवर्धित अभिगम; सेवा के स्पष्ट रूप से निर्धारित स्तर; ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त उपलब्धता सहित दहलीज पर सेवाएं उपलब्ध कराने; संवर्धित कार्यक्षमता; संवर्धित पारदर्शिता; संवर्धित विश्वसनीयता; कम लागत सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है । इस योजना का उद्देश्य देश में ई-शासन की नींव रखना और इसके दीर्घावधि विकास को प्रोत्साहन देना है । इसके जरिए उपयुक्त शासन एवं संस्थागत तंत्र स्थापित करना और मुख्य मूलंसरचना और नीतियां स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुकर होगा । इसकी मुख्य विशेषताएं हैं : केद्रीकृत अवधारणा-विकेद्रीकृत कार्यान्वयन; केद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार के स्तर पर 27 मिशन मोड परियोजनाएं; 6 लाख गांवों के लिए एक लाख सामान्य सेवा केद्र; ब्लॉक स्तर तक प्रकाशिक तंतु सम्पर्क; दीर्घावधि तक चालू रखने लिए सार्वजनिक - निजी भागीदारी ।

17. भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) : इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी साधनों तथा सूचना सामग्री का विकास करना है ताकि स्थानीय भाषाओं में कम्प्यूटर तथा अन्य सूचना सामग्री प्रणालियों का प्रयोग किया जा सके ।

18. साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित) : साइबर सुरक्षा को असुरक्षा के परिणामों को समझते हुए, सुरक्षित उत्पादों को विकसित करने की आवश्यकता, कार्य निष्पादन एवं लागत संबंधी शास्ति, प्रयोक्ता की उन्नत सुविधा, सुरक्षा पद्धतियों को कार्यान्वित करने और निरन्तर बनाए रखने की आवश्यकता, तथा सुरक्षा संबंधी सुधारों के महत्व का मूल्यांकन करने की आवश्यकता जैसे विभिन्न कारणों से धीरे-धीरे कई उपभोक्ता उत्पादों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है । भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) की स्थापना साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए की गई है । सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक द्वारा सात प्रमाणन प्राधिकरणों को लाइसेंस दिया गया है ।

19. भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) तथा ईएचटीपी: सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) संचार सम्पर्कों अथवा वास्तविक मीडिया के इस्तेमाल और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात सहित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास और निर्यात के लिए एक शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना है। एसटीपी योजना सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास में अत्यधिक सफल रही है। इस समय एसटीपीआई के देश में 51 केन्द्र हैं जिसमें से 44 केन्द्र स्तर II और स्तर III शहरों में स्थित हैं।

20. जनसामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (लिंग, अनुसूचित जाति/ जनजाति) : सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र महिलाओं का एक सबसे बडा नियोक्ता है और इसलिए महिलाओं की अधिकारिता में वृद्धि करने तथा लिंग संबंधी भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । विभाग अपने संसाधनों का आबंटन मूलसंरचना विकास अथवा विशिष्ट प्रौद्योगिकी के लिए प्रायोजित परियोजनाओं अथवा कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जनशक्ति विकास पर विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों में करता है ।

21. डीओईएसीसी : यह विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है, जो संस्थानों/संगठनों को विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण के अनौपचारिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान करती है । यह अद्यतन तकनीकी जानकारी के क्षेत्रों में उद्योग उन्मुखी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक एंव प्रशिक्षण का विकास करके, मानदण्ड स्थापित करके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परीक्षा एवं प्रमाणन के लिए देश का प्रमुख संस्थान बन गया है ।

23. इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन : सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चयन किया है जिसके लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद का गठन किया गया है ।

24. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क : यह राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के लिए देश के ज्ञान संस्थानों को जोडने के लिए बहु गीगाबिट बैंडविड्थ सहित एक नई योजना है ।

25. मीडिया लैब एशिया: मीडिया लैब एशिया कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत एक संगठन है, जिसका उद्देश्य आम आदमी तथा जरूरतमंद लोगों तक अत्यधिक उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को लाभ पहुंचाना है।

26. प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए): प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक वर्ष 2008 में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दिए गए विभिन्न मानदण्डों की जांच करके तथा के समय-समय पर निर्धारित इसके नियमों एवं विनियमों अनुसार अलग-अलग व्यक्तियों/कम्पनी को प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरणों में सरकारी संगठन एवं निजी क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं।